फाइल सं.15/30/2016-लेखा और क्रय
संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पेंशन अदालत

संसदीय कार्य मंत्रालय 23 अगस्त, 2019 को संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 87, संसद भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है। इस मंत्रालय के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों, यदि कोई हों, के समाधान के लिए पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं।

पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें 23 अगस्त, 2019 को 1000 बजे से 1700 बजे के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा अग्रिम रूप में डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 87, संसद भवन, नई दिल्ली के नाम स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया टेलीफोन नंबर 011-23034899/4755 पर संपर्क करें या अपनी शिकायतें अग्रिम रूप में rahul.agrawal@gov.in पर ईमेल में प्रस्तुत करें।

पेंशनर्स को अपना नाम, पदनाम (जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे), पीपीओ नंबर, बैंक का विवरण, सेवानिवृत्ति की तारीख और अपना पता और टेलीफोन का हवाला अवश्य दें। पीपीओ और पीपीओ शुद्धिपत्र (यदि उपलब्ध हो)/अपडेटिड बैंक पास बुक के अंतिम दो पृष्ठों की प्रतियां को आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।